मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/2019–20/P-3/1218 भोपाल दिनांक 16 अगस्त 2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा पोर्टल के कियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दुओं से अवगत होने बावत।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019, पत्र कमांक/1184–1185 दिनांक 03 अगस्त 2019, पत्र कमांक 1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019, पत्र कमांक/1188–1189 दिनांक 05 अगस्त 2019, पत्र कमांक/1194–1195, दिनांक 08 अगस्त 2019 एवं पत्र कमांक 1196–1197। (आपको प्रेषित इन पत्रों की प्रतियॉ मण्डी बोर्ड की नव विकसित वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

–0–

उल्लेखित विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन किया गया है, जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था अंतर्गत मण्डी सचिव की लॉगिन आई.डी. से किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

1/ विशेष ध्यान देंवे कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रविष्ट किये जाने वाले भुगतान पत्रकों हेतु कृषक विकेता का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रुप से प्राप्त कर भुगतान पत्रकों पर अंकित करावें। साथ ही यह प्रविष्टि कराने हेतु व्यापारियों को इसकी सूचना अनिवार्य रुप से देवें।

2/ विशेष ध्यान देंवे कि भुगतान पत्रक को मण्डी सचिव द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर सत्यापित करने की समय सीमा 3 दिवस नियत की गई है। इस अवधि के उपरांत आंचलिक संयुक्त/उप संचालक की लॉगिन पर स्वतः प्रदर्शित होगी तथा इस स्टेज पर 7 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है का समावेश किया गया है।

3/ समस्त मण्डी समितियों को ई–अनुज्ञा प्रोर्टल के कियान्वयन के लिये लॉगिन आई.डी. प्रदाय कर दिये गये हैं यदि किसी मण्डी को प्राप्त नहीं हुये हैं तो वह बिना विलम्ब किये हुये इसकी सूचना मण्डी बोर्ड मुख्यालय को देकर प्राप्त कर लें।

4/ मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्रदाय लॉगिन आई.डी./कर्मचारियों को प्रदाय लॉगिन आई.डी. लॉक होने की दशा में मण्डी सचिव की आई.डी. से रीसेंड के माध्यम से पुनः भेजे जा सकेंगे।

5/ मण्डी सचिव अपनी लॉगिन आई.डी. से व्यापारी का पंजीयन/नवीनीकरण की कार्यवाही करेंगे।

6/ मण्डी सचिव द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के व्यापार पर रोक/अनुज्ञप्ति निलंबन की दशा में उसके खाते को डी–एक्टिव कर पुनः बहाल करने की स्थिति में स्वयं की लॉगिन आई.डी. से एक्टिव (बहाल) किया जा सकेगा।

7/ भारतीय खाद्य निगम/नाफेड द्वारा जारी आरओ/डीओ की स्थिति में उसका सत्यापन सचिव द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. से किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/कर्मचारी अपनी लॉगिन आई.डी. से प्ररुप–10 अनुसार प्ररुप–9 जारी कर सकेंगे, परन्तु प्रदेश के बाहर के व्यापारी के लिये जारी आर.ओ. की दशा में प्ररुप–10 व प्ररुप–9 मण्डी कर्मचारी द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. से जारी किया जा सकेगा।

8/ प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज जिसपे शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है। ऐसी कृषि उपज का सत्यापन सचिव की लॉगिन आई.डी. से किये जाने के उपरांत स्कंध व्यापारी के खाते में जोड़ा जा सकेगा।

9/ प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज जिसपे मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि देय होगी ऐसी उपज सचिव के द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी जो कि मण्डी प्रवेश द्वार/मण्डी प्रांगण के बाहर के कार्यालय में पदस्थ होंगे, के द्वारा कृषि उपज के प्रदेश के बाहर से आने वाले वाहन को तत्समय अथवा 12 घंटे के अंदर अनिवार्य रुप से भौतिक सत्यापन उपरांत मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि प्राप्त कर व्यापारी के खाते में स्कंध जोड़ा जा सकेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. से उसका सत्यापन कर सकेगा।

10/ अनाज/तिलहन/दलहन/मसाले/वनोपज आदि जिनके अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं के साथ ही सब्जी/स्वापक/फल–सब्जी अंतर्गत (प्याज, आलू, हरामटर, लहसून, केला व संतरा इत्यादि) जिनके अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं, का मण्डी शुल्क ऑन लाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली मण्डी फीस स्क्रीन के माध्यम से उदग्रहित किया जायेगा। पोर्टल पर दर्ज राशि में से सिस्टम द्वारा जिन्स पर देय मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि काटी जाकर रिपोर्ट में पृथक पृथक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

11/ कृषि उपज मूंगफली छिलकासहित का प्रोसेसिंग हेतु बनाये गये अनुज्ञा पत्र में दर्शित मात्रा को मण्डी सचिव द्वारा सत्यापन अपनी लॉगिन आई.डी. से करने के उपरांत ही उसको प्रोसेसिंग उपरांत परिवर्तित स्वरुप मूंगफली छिलकारहित का स्कंध प्राप्त हो सकेगा। जिसका विक्रय करने पर व्यापारी परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकेगा।

12/ कृषि उपज से लदे वाहन में खराबी आने या अन्य कारण से वाहन क्रमांक में परिवर्तन, संबंधित मण्डी क्षेत्र जहॉ वाहन में खराबी आई है उसी मण्डी क्षेत्र के मण्डी सचिव की लॉगिन आई.डी. से सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

13/ कृषि उपज के वाहन को परिवहन हेतु जारी किये गये अनुज्ञा पत्र को सौदा निरस्त होने की दशा में गंतव्य मण्डी क्षेत्र के सचिव द्वारा प्रेषित ऑनलाईन रिक्वेस्ट के आधार पर जारीकर्ता (सोर्स) मण्डी में वाहन के भौतिक सत्यापन उपरांत सचिव की लॉगिन आई.डी. से निरस्त किया जा सकेगा।

14/ कृषि उपज के वाहन को परिवहन हेतु जारी किये अनुज्ञा पत्र को सौदा निरस्त होने की दशा में विक्रेता द्वारा उपज को उसी मण्डी क्षेत्र में अथवा अन्य मण्डी क्षेत्र के व्यापारी फर्म के नाम सौदा होने पर पुनः विक्रय करने की स्थिति में गंतव्य मण्डी क्षेत्र के सचिव द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. से व्यापारी फर्म के नाम में परिवर्तन की रिक्वेस्ट जारीकर्ता (सोर्स) मण्डी को

ऑनलाईन प्रेषित की जायेगी। जारीकर्ता (सोर्स) मण्डी के सचिव द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. से उसको सहमति दी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दुओं से अवगत होते हुये ई–अनुज्ञा पोर्टल के कियान्वयन हेतु आपके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुये समय पर पूर्ण करें, जिससे ई–अनुज्ञा पोर्टल से अनुज्ञा जारी करने के संबंध में कठिनाई/असुविधा न हो।

(डॉ.केदार सिंह)
16/08/19
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/2019–20/P-3/1219 भोपाल दिनांक 16 अगस्त 2019
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)।

(04) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) संयुक्त संचालक (नियमन)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(06) उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल